

//ए.एन.एम. पद की संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन//

कार्यालय परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव के आदेश क्रमांक/426/परि.प्रशा./विकेस/बजट/पुनर्.राजस्व/2020-21 कोण्डागांव, दिनांक 22.04.2022 एवं आदेश क्रमांक/539/परि.प्रशा./विकेस/बजट/स.अ. 275(1)/2020-21 कोण्डागांव, दिनांक 22.07.2022 के तहत छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रशिक्षित ए.एन.एम./नर्स पद की नियुक्ति संविदा आधार पर किया जाना है। विज्ञापन में निहित शर्तों के अधीन पात्र व इच्छुक योग्यताधारी छत्तीसगढ़ के मूलनिवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोण्डागांव को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से ही प्रस्तुत कर सकेंगे। विज्ञापन का प्रारूप एवं विज्ञापन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, शर्तें एवं नियम कोण्डागांव जिले के वेबसाईट <https://kondagaon.gov.in> में देखा जा सकता है। आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **10/06/2023 संध्या 05:30** बजे तक होगी। अंतिम तिथि एवं समय उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवारायपुर के ज्ञापन क्र. एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवारायपुर दिनांक 03/05/2023 के परिपालन में पूर्व निर्धारित आरक्षण (58%) के आधार पर रिक्त पदों का वर्गवार विवरण एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	एकमुश्त वेतन	आरक्षण संवर्ग				कुल योग
			अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	ए.एन.एम./नर्स	15000/-	01	09	01	02	13

उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

शैक्षणिक योग्यता :- (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, और (3) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

नियम एवं शर्तें :-

1. उपरोक्त विज्ञापित में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
2. यह संविदा नियुक्ति, छ0ग0 शासन द्वारा प्रचलित संविदा नियुक्ति नियम, 2012 में निहित शर्तों के अधीन होगी।
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (यथा संशोधन नियम 2020) 11.06.2020 में निहित नियम/शर्तों के अधीन होगी।
4. दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिव्यांगजन उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।
5. ए.एन.एम.पद हेतु केवल प्रशिक्षित ए.एन.एम. अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पर विचार किया जायेगा। शेष जी.एन.एम.नर्सिंग एवं बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया गया जायेगा।
6. छ.ग. राज्य निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की मूलप्रति साक्षात्कार/सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा- जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/हायर सेकेंडरी स्कूल की अंकसूची एवं डिप्लोमा/डिग्री के साथ, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आदि की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे तथा साक्षात्कार/सत्यापन के समय समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।


8. चयन मापदण्ड :-

शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के अंक निम्नानुसार प्रावधानित है :-


- 8.1 12वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत का 35 अंक प्रावधानित है।
- 8.2 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कुल प्राप्तांकों के प्राप्तियों का 30 अंक प्रावधानित है।
- 8.3 अनुभव के अंक हेतु किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में संविदा/दैनिक वेतन तदर्थ नियुक्ति में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है।
- 8.4 साक्षात्कार - 20 अंक

9. चयन प्रक्रिया :-

- 9.1 उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव अंक के आधार पर प्राप्त आवेदनों की प्रवीण्य सूची (प्रोविजनल) तैयार कर कुल विज्ञापित पदों के 03 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/सत्यापन हेतु आमंत्रित की जावेगी।
- 9.2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंक, अनुभव के अंक एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक के योग के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिस आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की जावेगी।



10. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोण्डागांव/जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र कोण्डागांव/समस्त जनपद पंचायत/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं कोण्डागांव जिले के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।
11. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/सत्यापन हेतु **14.06.2023** तिथि निर्धारित की गई है। साक्षात्कार/सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय कलेक्टर/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोण्डागांव/जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र कोण्डागांव/समस्त जनपद पंचायत/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं कोण्डागांव जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।
12. किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में संविदा/दैनिक वेतन तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत को अनुभव का अंक दी जावेगी बशर्ते आवेदक जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रतिवर्ष पूर्ण कलेण्डर माह के आधार पर अनुभव के लिए 03 अंक प्रदान किये जाएंगे। अनुभव के अधिकतम 15 अंक निर्धारित है। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
13. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
14. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले एवं विज्ञापन में दी गई निर्देशों/नियम शर्तों को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रेषित करेंगे। आवेदक के द्वारा सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करेंगे, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होंगे।
15. अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
16. यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो तो उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की मूलप्रति साक्षात्कार/सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. प्रतीक्षा सूची नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
18. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य/फर्जी पाई जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
19. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन क्र. व दिनांक
आवेदित पद का नाम

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

स्वयं द्वारा
सत्यापित
नवीनतम
पासपोर्ट साइज
रंगीन फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)
2. पिता/पति का नाम :
3. माता का नाम :
4. अ) जन्मतिथि (अंकों में) :
- ब) आयु 01 जनवरी 2023 की स्थिति में : वर्ष माह..... दिन.....
5. जाति (सामान्य/अजा./अजजा/अपिव) :
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या नहीं :
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. स्थानीय निवास का पता :
.....
.....
8. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :
.....
.....
मोबाईल नं.
ई-मेल आईडी
9. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत है। हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
10. यदि आवेदित पद से संबंधित अनुभव प्राप्त है तो उनका विवरण देंगे :
.....
.....
11. मेडिकल कौंसिल पंजीयन का नाम :
पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक



12. शैक्षणिक योग्यता

: (विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे)

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	शैक्षणिक उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता का पूर्णांक	विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक	प्रतिशत

(टीप :- शैक्षणिक योग्यता का पूर्णांक/प्राप्तांक एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए अन्यथा आवेदन अमान्य माना जावेगा।)

13. संलग्न स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची व संख्या :

1. दसवीं/बारहवीं की अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता (18 माह/24 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) की अंकसूची (सभी वर्षों का)
3. जाति प्रमाण पत्र
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. मेडिकल कौंसिल पंजीयन प्रमाण पत्र
6. अन्य

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन में दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

